न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 726/2023

अनवान : –

1. मेहनलाल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जयसिंह पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. रोशनी पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. शकुन्तला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
   5/1. अनिता पुत्री शकुन्तला जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
   5/2. पूजा नाबालिग पुत्री शकुन्तला जरिये संरक्षक पिता काशीराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी लालपुरा।
   5/3. विक्रम नाबालिग पुत्र शकुन्तला जरिये संरक्षक पिता काशीराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी लालपुरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: -04/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 179/160 की कुल 11.6850 हैक्ट भमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5/3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादी अपने हक हिस्सा अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें [illegible] दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 179/160 की कुल 11.6850 हैक्ट भमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान का राजीनाम हो चुका है मुताबिक राजीनामा सिलोचना, रोशनी, अनिता, पुजा, विक्रम यानि की प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5/3 ने अपना हक हिस्सा जयसिंह, मोहनलाल, राजेन्द्र यानि की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 179/160 की कुल 11.6850 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि जयसिंह, मोहनलाल व राजेन्द्र को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तो हम पक्षकार पूर्णतया सहमत है किसी को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम व पुरानी जमाबंदीया व सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5/3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5/3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 179/160 की कुल 11.6850 [illegible] में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड [illegible] दस्तावेजों से उक्त वादी भूमि पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयप[illegible] ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5/3 ने अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदार के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। काशीराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी लालपुरा द्वारा पूजा व विक्रम नाबालिग जरिये सरंक्षक काशीराम द्वारा हक त्याक के संबध में शपत्र पेश किया गया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो उन्हे कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 179/160 की कुल 11.6850 हैक्ट भमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 726/2023

अनवान : –

1. मोहनलाल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जयसिंह पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजेन्द्र पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. रोशनी पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. शकुन्तला पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
   5/1. अनिता पुत्री शकुन्तला जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
   5/2. पूजा नाबालिग पुत्री शकुन्तला जरिये संरक्षक पिता काशीराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी लालपुरा।
   5/3. विक्रम नाबालिग पुत्र शकुन्तला जरिये संरक्षक पिता काशीराम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी लालपुरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 726 सन 2023 निर्णय दिनांक – 04/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री चन्द्रशेखर एवं वकील प्रतिवादी श्री मांगेराम गोदारा व राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 179/160 की कुल 11.6850 हैक्ट भमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:07 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर